भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 344
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि कार्य त्यागने/छोड़ने वाले किसान

***344. श्री अनूप संजय धोत्रेः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि कार्य छोड़ चुके किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;
(ग) इस संबंध में की गई समीक्षा में किसानों द्वारा कृषि कार्य छोड़े जाने के पीछे किन-किन मुख्य कारणों की पहचान की गई है;
(घ) क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि किसान पारंपरिक फसलों की खेती करने के बजाय नकदी फसलों की खेती करना आरंभ करें;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समीक्षा के दौरान किन-किन अन्य कमियों की पहचान की गई है; और
(च) सरकार द्वारा कृषि को लोकप्रिय बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि किसान निकट भविष्य में कृषि कार्य न छोड़ें?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि कार्य त्यागने/छोड़ने वाले किसान" के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा में श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 344 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): जी नहीं, सरकार ने कृषि छोड़ने वाले किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए समीक्षा नहीं की है।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा आयोजित दश वर्षीय जनगणना के अनुसार, देश में कुल कृषकों की संख्या वर्ष 2001 के 12.73 करोड़ से घटकर वर्ष 2011 में 11.88 करोड़ हो गई है, जो 6.67% की कमी दर्शाती है। कृषकों का प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र से द्वितीयक (सेकेंडरी) और तृतीयक (टरशियरी) क्षेत्रों की ओर यह व्यवसाय-परिवर्तन, विश्व भर के देशों में होने वाली विकास प्रक्रिया की एक सामान्य घटना है और यही बात भारत के लिए भी सत्य है। इसके अलावा, इस बदलाव के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर, बढ़ता शहरीकरण आदि शामिल हैं।

जनगणना वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के अनुसार कृषकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

चूंकि जनगणना प्रत्येक दस वर्ष बाद की जाती है, इसलिए वर्ष 2011 के बाद से कृषि छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने वाले किसानों का विवरण ज्ञात नहीं है।

(घ): फसलों की खेती किसानों की पसंद पर निर्भर करती है, जिसके लिए कृषि जलवायु परिस्थितियाँ, बाजार मूल्य, संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास, जूट और गन्ना पर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इन फसलों से किसानों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, सरकार कृषि परिवारों के आय आधार में विविधता लाने के लिए बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत खेती को बढ़ावा दे रही है।

(च): कृषि को आकर्षक और अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से सरकार कई स्कीम कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार की विभिन्न स्कीम/ कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, किसानों को लाभकारी रिटर्न और आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। किसानों की समग्र आय और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख स्कीम/ कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि मार्केटिंग योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

इसके अलावा, कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है।

(ङ) : उपर्युक्त (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

वर्ष 2001 और 2011 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कृषकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषकों की संख्या (लाख में)	
		2001	**2011**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.21	0.17
2	आंध्र प्रदेश	78.60	64.92
3	अरुणाचल प्रदेश	2.79	3.03
4	असम	37.31	40.62
5	बिहार	81.94	71.96
6	चंडीगढ़	0.02	0.03
7	छत्तीसगढ	43.11	40.05
8	दादरा और नगर हवेली	0.39	0.28
9	दमन और दीव	0.04	0.02
10	दिल्ली	0.50	0.31
11	गोवा	58.03	54.48
12	गुजरात	30.18	24.81
13	हरियाणा	19.55	20.62
14	हिमाचल प्रदेश	15.92	12.45
15	जम्मू और कश्मीर	38.90	38.15
16	झारखंड	68.84	65.81
17	कर्नाटक	7.24	6.70
18	केरल	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	110.38	98.44
20	मध्य प्रदेश	118.13	125.69
21	महाराष्ट्र	3.80	5.74
22	मणिपुर (3 उप-विभागों को छोड़कर)	4.67	4.95
23	मेघालय	2.56	2.30
24	मिजोरम	5.49	5.38
25	नागालैंड	0.37	0.33
26	ओड़ीशा	42.48	41.04
27	पुदुचेरी	0.11	0.12
28	पंजाब	20.65	19.35
29	राजस्थान	131.40	136.19
30	सिक्किम	1.31	1.17
31	तमिलनाडु	51.16	42.48
32	त्रिपुरा	3.13	2.96
33	उत्तर प्रदेश	221.68	190.58
34	उत्तराखंड	15.70	15.80
35	पश्चिम बंगाल	56.54	51.17
	अखिल भारत	**1273.13**	**1188.09**

नोट: भारत और मणिपुर के लिए जनगणना 2001 के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के माओ परम , पाओमाता और पुरुल उप-मंडलों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत:पीसीए , भारत की जनगणना, 2011

*****